

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 28/02/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत अनुबंध/संविदा आधारित कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु परिचारित परिपत्रों के अधीन स्वीकृत दर के आलोक में अनुमान्य राशि कुल ₹78,18,000/- (अड़हत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र के राशि की स्वीकृति।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक-35/मु०मं० नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1)/06(स्वी०)पं०रा० दिनांक-13.05.2021, आवंटनादेश पत्रांक-55/राज्य स्कीम-02-11/2017/12(आ०)/पं०रा० दिनांक-31.05.2021,

आदेश:- स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश की निरंतरता में वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को अनुमान्य दर पर मानदेय के भुगतान हेतु परिचारित विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित जिलों से विभाग को प्राप्त कराये गये अधियाचित राशि के आलोक में निम्नवत् राशि स्वीकृत करते हुए कुल ₹78,18,000/- (अड़हत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	जिला	प्रखंड की सं०	प्रखंडस्तरीय कार्यपालक सहायकों की सं०	वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व में उपलब्ध कराया गया आवंटन	वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष बचे अवधि के लिए अधियाचित राशि के आलोक में वर्तमान आवंटन (हजार के गुणक में)
1	औरंगाबाद	11	11	2772000.00	₹7,26,000.00 (सात लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र।
2	भागलपुर	16	16	4032000.00	₹17,88,000.00 (सतरह लाख अठ्ठासी हजार रुपये) मात्र।
3	जहानाबाद	7	7	1764000.00	₹2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र।
4	मधुबनी	21	21	5292000.00	₹12,79,000.00 (बारह लाख उन्नासी हजार रुपये) मात्र।
5	मुजफ्फरपुर	16	16	4032000.00	₹7,00,000.00 (सात लाख रुपये) मात्र।
6	सहरसा	10	10	2520000.00	₹7,75,000.00 (सात लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र।
7	सिवान	19	19	4788000.00	₹18,00,000.00 (अठारह लाख रुपये) मात्र।
8	वैशाली	16	16	4032000.00	₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र।
कुल:-₹78,18,000/- (अड़हत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र					

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निर्देशन एवं प्रशासन-उप शीर्ष-0102-जिला पंचायत की स्थापना" मद के "विषय शीर्ष-0102.28.02-संविदा सेवाएँ" से वित्तीय वर्ष 2021-22 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-16-2515000010102 है।
4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।
5. इस राशि का आवंटनादेश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अलग से निर्गत किया जाएगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायत राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2017 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-3प/मु०म०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-69/टि० पर दिनांक-25/02/2022 को प्राप्त है।
8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/मु०म०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) के टिप्पणी पृष्ठ सं०-71/टि० पर दिनांक-26/02/2022 को प्राप्त है।

विश्वसभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/ मु०म०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) 49/51/22 पटना, दिनांक 28/02/2022
प्रतिलिपि-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद, जहानाबाद, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/ मु०म०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) 49/51/22 पटना, दिनांक 28/02/2022
प्रतिलिपि-संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद, जहानाबाद, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/ मु०म०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) 49/51/22 पटना, दिनांक 28/02/2022
प्रतिलिपि-संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद, जहानाबाद, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/ मु०म०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) / 495/प०रा० पटना, दिनांक 28/02/2022
प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश
की प्रति विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संबंधित को
सूचित करेंगे।

(कृष्णा कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

2/32